रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

#### भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-22042025-262590 SG-DL-E-22042025-262590

## असाधारण EXTRAORDINARY

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120] No. 120] दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 17, 2025/चैत्र 27, 1947 DELHI, THURSDAY, APRIL 17, 2025/CHAITRA 27, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 19 [N. C. T. D. No. 19

## भाग IV PART IV

## राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

# राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) अधिसूचना

दिल्ली, 17 अप्रैल, 2025

फा0 सं0 50(45)/डीसी/स्था0/2024/43.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24.09.1968 की अधिसूचना सं0 एस0ओ0 3532 के साथ पिटत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा औषिध नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में स्टाफ कार चालक (ग्रेड—II) के पद की भर्ती पद्धित को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-
  - (i) इन नियमों को औषधि नियंत्रण विभाग, स्टाफ कार चालक (ग्रेड-II) भर्ती नियमावली, 2025 कहा जाए।
  - (ii) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रका"ान की तिथि से लागू होंगे।
- 2. **पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर** :—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।
- 3. भर्ती पद्धित, आयु-सीमा, योग्यताएं इत्यादि :— उक्त पद की भर्ती पद्धित, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

2598 DG/2025 (1)

- 4. अयोग्यता :--वह व्यक्ति,
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

#### अथवा

(ख) जो एक जीवित पति या पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

- 5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।
- 6. बचाव :— इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य वि'गेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

#### अनुसूची

औषधि नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में स्टाफ कार चालक (ग्रेड-II) के पद हेतु भर्ती नियम

	T		
1.	पदनाम	:	स्टाफ कार चालक (ग्रेड—II)
2.	पदों की संख्या	:	01'(2025)
			'परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण		सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर		वेतन मैद्रिक्स में स्तर-4 ( 25500-81100 / -रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	गैर चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा		लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक	:	लागू नहीं
	तथा अन्य योग्यताएं		
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए	:	लागू नहीं
	निर्घारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा		
	पदोन्नित वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।		_
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	:	पदोन्नित द्वारा
	द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा		
	विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत		
	पदा का प्रास्तात		
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा	:	पदोन्नति :
	मर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे		
	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना		ग्रेड में 9 वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–2 (रुपये
	B		19900-63200 / -) में स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) में से तथा सरकार द्वारा
			निर्दिष्ट कौ"ाल परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।
			   टीप :जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे
			पदोन्नित के लिए विचारणीय है, उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नित के लिए
			विचारणीय होंगे; बशर्तें कि अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित

12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	·	अर्हक / पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा 2 वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अविध अपने किनष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।  समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति / स्थायीकरण के विचारार्थ)  1. प्रधान सचिव / सचिव (लो०नि०वि०) — अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष — सदस्य 3. उप— सचिव (श०विका०), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — सदस्य  टीप :— यदि समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से किनष्ठ है, तो स्थायीकरण के विचारार्थ विभागीय स्थायीकरण समिति का विरुद्धतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर.

राज कुमार, उप-सचिव (स्वा० एवं परि० कल्या०)

#### GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

#### (HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPTT)

### **NOTIFICATION**

Delhi, the 17th April, 2025

F. No. 50(45)/DC/Estt./2024/43.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution read with Government of India, Ministry of Home Affair's Notification No. S.O.3532 dated 24.09.1968, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver (Grade II) in the Drugs Control Department, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely:

#### 1. Short title and commencement-

- (i) These rules may be called the Drugs Control Department, Staff Car Driver (Grade-II) Recruitment Rules, 2025
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of post, Classification and Pay Level in Pay Matrix-** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule aforesaid.
- 4. **Disqualification.-**No person,

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to Relax-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving-** Nothing in these rules, shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### **SCHEDULE**

Recruitment Rules for the post of Staff Car Driver (Grade-II) in the Drugs Control Department, Government of National Capital Territory of Delhi

Name of	Number of	Classification	Pay Level in	Whether	Age limit for
Post	Posts		the Pay	Selection Post/	direct
			Matrix	Non-Selection	recruits
				Post	
1	2	3	4	5	6
Staff Car	01* (2025)	General Central	Level-4 (Rs.	Non Selection	Not
Driver	*subject to	Service,	25500 -		Applicable
(Grade-II)	variation	Group C,	81100) of the		
	dependent on	Non-Gazetted,	Pay Matrix		
	workload	Non-Ministerial			

Educational and other Qualification required for Direct Recruits	Whether age & Educational Qualification prescribed for direct recruitment will apply	Period of probation, if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption & percentage of
for Direct Recturts	in the case of promotees	any	vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	By Promotion

In case of Recruitment by Promotion/	If a Departmental Promotion Committee exists,	Circumstances in
deputation/ absorption grades from	what is its composition	which UPSC is to
which Promotion/ deputation/ absorption		be consulted in
to be made		making
		recruitment
11	12	13
Promotion:	Group 'C' DPC (for considering promotion/	Not applicable
Staff Car Driver		

(Ordinary Grade) in the Pay Level-2 (Rs. 19900 – 63200) of the pay matrix with 09 years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the government

#### Note:

Where Juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service

confirmation):

- 1. Principal Secretary/ Secretary (PWD) Chairman
- 2. Head of the Department concerned Member
- 3. Deputy Secretary (UD) GNCT of Delhi Member

Note: Senior most member of the Departmental Confirmation Committee for considering confirmation shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Committee happens to be junior to another member of the Departmental Confirmation Committee.

By Order and in the Name of the Lt. Governor, Delhi RAJ KUMAR, Dy. Secretary, (H&FW)